—

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या /2021 तारीख रजू 23.10.2019

सुखलाल पुत्र ऊंकारया जाति बैरवा निवासी ग्राम गोविन्दपुरा तहसील खण्डार।

——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार बहरावण्डा कला। ——— रेस्पो0

उपस्थित – श्री भगवान दास माली एड0 – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 17.07.2023

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा मिसल संख्या 01/2022 मे पारित आदेश दिनांक 23.06.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम इसरडा के आराजी खसरा नम्बर 468/248 रकबा 04 बीघा किस्म गै.मु. बेहड पर संवत 2079 मे अनाधिकृत रूप से राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर जिन्स जोंत करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली प्राप्त हुई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को गै0मु0 बिहड ख0नं0 468/248 रकबा 04 बीघा पर अतिचारी होना मान कर अपना निर्णय (दण्डादेश) पारित किया है जो कानूनन सही नहीं है। अपीलान्ट का विवादित आराजी ख0नं0 468/248 पर कोई कब्जा (अतिक्रमण) नहीं है। हल्का पटवारी ने गै0मु0 बिहड की 04 बीघा भूमि पर अपीलार्थी का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में बिलकुल गलत एवं असत्य बयान दिया है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने से पूर्व प्रार्थी को विधिवत धारा 91 (3(क) के अनुसार कोई पृथक से नोटिस नहीं दिया गया है । प्रार्थी को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा बहस में तर्क दिया कि पाश्चतवर्ती के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पूर्व में किये अतिकमण के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी सबूत नहीं होने से अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2022 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के परिवार को तामील हुई है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण उसके पुत्र को नोटिस की तामील करवाई गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट को सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट, नोटिस, फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार बहरावण्डा कलां द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2022 में बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण तहसीलदार, खण्डार को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है तथा उक्त शपथ–पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि वर्तमान में उक्त विवादित भूमि पर अपीलान्ट का अतिक्रमण पाया जावे तो सिविल कारावास की सजा के आदेश को बहाल रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:08:14 IST
Reason: SelfAttested